HRA En USIUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 84] No. 84] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1997/फाल्गुन 10, 1918 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1997/PHALGUNA 10, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1997

सा. का. नि. 126 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों और सभी अन्य सामर्थ्यकारी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप संशोधन नियम, 1997 है।
- (2) ये 1 मार्च, 1997 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध-क में प्ररूप सं. 34-कक और प्ररूप सं. 34-ख के स्थान पर, निम्निलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :---

(कृपया प्ररूप सं. 34-कक धारा 370 देखिए)

अनुदेश

- सभी प्रकार से पूरा किया गया आवेदन सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, 5वां तल, ए विंग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाए।
- 2. आवेदन प्ररूप के साथ कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1968 के अनुसार सद्दत अपेक्षित फीस की रकम/संदाय के साक्ष्यों के साथ भेजा जाना चाहिए। फीस का संदाय अधिमानतः दिल्ली में संदेय वेतन और लेखा अधिकारी कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से किया जाएगा।
- 1. कंपनी की प्रधिकृत पूंजी रह.
- 2. संदत्त फीस की रकम र....र.

की जानी है)

2.	THE GA	ZETTE OF INDIA : EXTRAORDINA	ARY [PART II—SEC. 3(i)
3.	मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर चैक/चालान के ब्यौरे		
	बैंक		•
	स्टेशन····		
	सं		
	तारीखः		
			(तारीखको यथा विद्यमान
विशि	 ष्ट्रेग्रां	उधार दाता	उधार ग्राहीता कंपनी
1-11-111		कंपनी (आवेदक कंपनी)	(जिस विस्तार तक लागू हो)
	1	2	3
4.	नाम और पता		
5.	वर्तमान कारबार		
6.	पिछले 3 वर्षो के दौरान		•
	अर्जित लाभ/हुई हानि		
7.	प्रबंध अवसंरचना	आवेदन के साथ संलग्न किया।	आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
	और शेयर धारण पैटर्न		•
8.	दिए जाने वाले		
	प्रस्तावित ऋण की रकम		•
	और किस प्रयोजन के लिए		
9.	प्रभारित किए जाने वाले		
	प्रस्तावित ब्याज की दर		
10.	उधारगृहीता द्वारा प्रस्तावित		
	प्रतिभृति की प्रकृति और मूल्य		
11.	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की		
	धारा 58क के निबंधनों और शर्तों		
	के अनुसार किसी निक्षेप या उसके		
	भाग या उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय		
	करने में कोई व्यतिकम्र हुआ है, यदि		
	हां, तो उसके ब्यौरे बताइए।		•
12.	क्या आवेदक कंपनी ने अपेक्षित		
	विशेष संकल्प पारित किया है, यदि		
	हां तो संकल्प की एक प्रति संलग्न		
	करें।		
13.	आवेदक कंपनी की तारीखको		
	यथा विद्यमान निधियों की उपलब्धता		
 ब्यौरे	*	रकम	टिप्पणियां
1		2	3
	प्रतिश्रुत पूंजी/समादत्त पूंजी		
	खुली आरक्षितियां (सूचीबद्ध		

िभाग	॥-खण्ड	3(i)	1
ויודי ו		21	.,	- 1

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

1	TT)	\ 7	
١	٠١,	, ,	1/1

- (घ) वर्तमान विनिधान
- (ङ) कंपनी द्वारा पहले ही उधार दिए गए ऋण/ निक्षेप
- (च) इस परियोजना के लिए ऋण की रकम
- (छ) कुल (ङ+ च+छ)
- (ज) स्तंभ (छ) की स्तंभ (ग) की तुलना में प्रतिशत

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । स्थान-----

तारी	ख—	—	

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

(कृपया प्ररूप सं. 34 ख धारा 372 देखिए)

अनुदेश

- 1. सभी प्रकार से पूरा किया गया आवेदन सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, 5वां तल, ए विंग नई दिल्ली 110001 को भेजा जाए ।
- 2. आवेदन प्ररूप के साथ कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1968 के अनुसार संदत्त अपेक्षित फीस की रकम/संदाय के साक्ष्यों के साथ भेजा जाना चाहिए। फीस का संदाय अधिमानत: दिल्ली में संदेय वेतन और लेखा अधिकारी कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से किया जाएगा।

1.	कंपनी	की	प्राधिकत	पुंजीर	5

- 3. मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर चेक/चालान के ब्यौरे

बैंक : स्टेशन : सं. :

तारीख:

विशिष्टियां	विनिधानकर्ता कंपनी (आवेदक कंपनी)	अन्य निगमित कंपनी (विनिधानंग्रहीता कंपनी)	
1	2	3	

- (ग) निर्यात-आयात बैंक ऋण
- (घ) नाम आस्तियों/संपति/व्यापारिक :
- 5. कार्य के अन्तरण द्वारा

शेय	र धारण पैटर्न	(आवेदन के साथ संलग्न	(आवेदन के साथ संलग्न
		किया जाना है)	किया जाना है)
	योग		
7. क्य	। सूचीबद्ध है		
 ₃. प्रस	तावित विनिधान के ब्यौरे (अर्जित किए जाने व	ाले शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, प्रीमियम	(यदि कोई है) और कुल मूल्य उपदर्शित करें
ə. वे	स्रोत जिनसे विनिधान के वित्त पोषण का प्रस्ताव	न है :	
	·	रकम	milal zazi
		(4/4	ममराका डालर
क)	आन्तरिक प्रोदभवन से :	(4/4	ममराका डालर
	आन्तरिक प्रोदभवन से : पूंजी आधार के विस्तार द्वारा :	(4/4	ममराका डालर
(ख)		(4/4	मस्तका डालर
(ख) (ग)	पूंजी आधार के विस्तार द्वारा :	(4/4	मस्राका डालर
(क) (ख) (ग) (घ)	पूंजी आधार के विस्तार द्वारा : निर्यात-आयात बैंक ऋण :	(4/4	मस्राका डालर
(ख) (ग)	पूंजी आधार के विस्तार द्वारा : निर्यात-आयात बैंक ऋण : आस्तियों/संपति/व्यापारिक कार्य :	(4/4	मस्राका डालर
(ख) (ग) (घ)	पूंजी आधार के विस्तार द्वारा : निर्यात-आयात बैंक ऋण : आस्तियों/संपति/व्यापारिक कार्य : के अन्तरण द्वारा	(4//4	तमराका डालर

- 10. क्या प्रस्तावित विनिधान करने के लिए आवेदक कंपनी के सदस्यों और निदेशक बोर्ड ने धारा 372 (4) और धारा 372(5) के अधीन यथा अपेक्षित संकल्प पारित किया है ?
- 11. यदि विनिधान गृहीता कंपनी नई परियोजना पर कार्य आरंभ करना चाहती है तो प्रचालन के बृहत क्षेत्र उपदर्शित करें
- 12. विनिधान गृहीता कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन (उस दशा में प्रस्तुत करना है जहां शेयर प्रीमियम पर अर्जित किए जा रहे हैं अथवा जब तब विनिधान गृहीता कंपनी घाटे में चल रही है । चार्टड एकाउंटेंट/अनुमोदित मूल्यांकन का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
 - (i) बाजार मूल्य
 - (ii) प्राप्त मूल्य
 - (iii) अवशिष्ट मूल्य
 - (iv) उचित मूल्य
- 13. उचित मृल्य से प्रीमियम/उच्चतर मृल्य पर शेयरों के क्रय का न्यायोचित्य
- 14. आवेदक कंपनी की-----तारीख----को यथा विद्यमान निधियों की उपलब्धता

ब्यौरे	रकम	टिप्पणियां
. 1	2	3

- (क) प्रतिशत पूंजी/समादत्त पूंजी
- (ख) खुली आरक्षितियां (सूचीबद्ध की जानी है)
- (ग) कुल
- (घ) कंपनी द्वारा पहले ही उधार दिए गए/ऋण/निक्षेप
- (च) वर्तमान विनिधान
- (छ) कुल (घ+ड+च)
- (ज) स्तंभ (छ) की स्तंभ (ङ) की तुलना में प्रतिशतता
- 15. यदि आवेदक कंपनी के पास पहले से ही विनिधान गृहीता कंपनी कं शेयर है तो, विनिधान गृहीता कंपनी की कुल समादत्त शेयर पूंजी की तुलना में उक्त शेयरों की प्रतिशतता उपदर्शित क्रें ।
- 16. क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप के अथवा उसके किसी भाग अथवा उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में कोई व्यतिक्रम हुआ है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे बताइए ।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जिस विस्तार तक लागू हो)

- (1) आवेदक कंपनी और विनिधान गृहीता कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सिहत संपरीक्षित लेखाओं और निदेशकों की उपलब्ध दोनों अद्यतन रिपोर्ट ।
- (2) आवेदक कंपनी द्वारा धारा 372 (4) और धारा 372 (5) के अधीन पारित संकल्पों की प्रतियां ।
- (3) विनिधान गृहीता कंपनी द्वारा धारा 81 (1क) के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति ।
- (4) उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेशी सहयोग करार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां ।
- (5) जहां पर व्यापारिक कार्यों का अन्तरण किया गया है तो धारा 293 के अधीन संकल्प (संकल्पों) की प्रतियां ।

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान : तारीख : मोहर :

हस्ताक्षर:

नाम :

पदनाम :

[फा. सं. 1/4/97-सी.एल. 5] आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-- मुख्य नियम का.नि.आ. नं. 432 दिनांक 18-2-56 के द्वारा छपे थे व संशोधित हुए :--

- 1. का. नि.आ. 2535 दिनांक 1-1-1956
- 2. का. नि.आ. 3135 दिनांक 21-12~1956
- 3. का. नि.आ. 237 दिनांक 19-1-1957
- का. नि.आ. 2105 दिनांक 29-4-1957
- 5. का. नि.आ. 3038 दिनांक 28-9-1957
- 6. का. नि.आ. 3867 दिनांक 7-12-1957
- 7. सा. का. नि. 48 दिनांक 22-2-1958
- 8. सा. का.नि. 723 दिनांक 23-8-1958
- 9. सा. का. नि. 750 दिनांक 30-8-1958
- 10. सा. का. नि. 1026 दिनांक 1-11-1958
- 11. सा. का. नि. 14 दिनांक 3-1-1959
- 12. सा. का. नि. 548 दिनांक 9-5-1959
- 13. सा. का. नि. 1140 दिनांक 17-10-1959
- 14. सा. का. नि. 1224 दिनांक 7-11-1959
- 15. सा. का. नि. 1364 दिनांक 12-12-1959
- 16. सा. का. नि. 220 दिनांक 27-2-1960
- 17. सा. का. नि. 595 दिनांक 28-5-1960
- 18. सा. का. नि. 195 दिनांक 18-2-1961
- 19. सा. का. नि. 814 दिनांक 24-6-1961
- 20. सा. का. नि. 1105 दिनांक 9-9-1961
- 21. सा. का. नि.1408 दिनांक 25-11-1961 22. सा. का. नि. 653 दिनांक 12-5-1962
- 23. सा. का. नि. 344 दिनांक 2-3-1963
- 24. सा. का. नि. 628 दिनांक 13-4-1963
- 25. सा. का. नि. 97 दिनांक 16-1-1965
- 26. सा. का. नि. 822 दिनांक 12-6-1965

51561/97/2

- 27. सा. का. नि. 1570 दिनांक 30-10-1965
- 28. सा. का. नि. 368 दिनांक 19-3-1966
- 29. सा. का. नि. 421 दिनांक 18-3-1966
- 30. सा. का. नि. 499 दिनांक 9-4-1966
- 31. सा. का. नि. 743 दिनांक 21-5-1966
- 32. सा. का. नि. 847 दिनांक 4-6-1966
- 33. सा. का. नि.1266 दिनांक 13-8-1966
- 34. सा. का. नि. 130 दिनांक 20-1-1968
- 35. सा. का. नि. 667 दिनांक 30-6-1973
- 36. सा. का. नि. 327(अ) दिनांक 10-6-1975
- 37. सा. का. नि. 414(अ) दिनांक 16-7-1975
- 38. सा. का. नि. 2596 दिनांक 1-11-1975
- 39. सा. का. नि. 2828 दिनांक 13-12-1975
- 40. सा. का. नि. 154 दिनांक 31-1-1976
- 41. सा. का. नि. 248(अ) दिनांक 24-3-1976
- 42. सा. का. नि. 627 दिनांक 14-5-1977
- 43. सा. का. नि. 24(अ) दिनांक 9-1-1979
- 44. सा. का. नि. 1256 दिनांक 6-10-1979
- 45. सा. का. नि. 555(अ) दिनांक 4-9-1982
- 46. सा. का. नि. 479(अ) दिनांक 22-4-1988
- 47. सा. का. नि. 694(अ) दिनांक 10-6-1988
- 48. सा. का. नि. 782(अ) दिनांक 13-7-1988
- 49. सा. का. नि. 908(अ) दिनांक 7-9-1988
- 50. सा. का. नि. 1032(अ) दिनांक 26-10-1988
- 51. सा. का. नि. 449(अ) दिनांक 17-4-1989
- 52. सा. का. नि. 510(अ) दिनांक 24-5-1990
- 53. सा. का. नि. 795(अ) दिनांक 18-9-1990
- 54. सा. का. नि. 289(अ) दिनांक 31-5-1991
- 55. सा. का. नि. 614(अ) दिनांक 3~10-1991
- 56. सा. का. नि. 754(अ) दिनांक 26-12-1991
- 57. सा. का. नि. 312(अ) दिनांक 6-3-1992
- 58. सा. का. नि. 353(अ) दिनांक 26-3-1992
- 59. सा. का. नि. 484(अ) दिनांक 11-5-1992
- 60. सा. का. नि. 581(अ) दिनांक 27-8-1993
- 61. सा. का. नि. 621(अ) दिनांक 24-9-1993
- 62. सा. का. नि. 286(अ) दिनांक 1-3-1994
- 63. सा. का. नि. 598(अ) दिनांक 28-7-1994
- 64. सा. का. नि. 697(अ) दिनांक 20-9-1994
- 65. सा. का. नि. 283(अ) दिनांक 21-3-1995
- 66. सा. का. नि. 424(अ) दिनांक 26-5-1995
- 67. सा. का. नि. 251(अ) दिनांक 21-6-1996
- 68. सा. का. नि. 97(अ) दिनांक 28-2-1997

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1997

G.S.R. 126 (E).— In exercise of powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

- (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, (second amendment) Rules, 1997.
- (2) They shall come into force on the first day of March, 1997.
- 2. In Annexure-A to the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form No. 34-AA and Form No. 34-B the following Forms shall be substituted, namely:—

FORM NO. 34-AA

(Please see Section 370)

Instructions

- 1. Application complete in all respects to be sent to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, 5th floor, "A" Wing, New Delhi -110001.
- 2. The application form should be accompanied by the requisite amount of fee/evidences of payment of fee paid in terms of the Companies (Fees on applications) Rules, 1968. Fee be preferbly paid by Bank Draft/Banker's Cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi", payable at Delhi.

Rs.-

2.	Amount of Fee paid		Rs.————	
3.	Details of DD/Bankers	s' Cheque/Challan:		
	Bank	:		
	Station	;		•
	No.	:		
	Date	:		
			(As on : —	<u> </u>

Particulars	Lending Company	Borrowing Company
	(Applicant Company)	(to the extent applicable)
1	2	3

4. Name and address

Authorised Capital of the Co.

- 5. Existing business
- Profit earned/Losses suffered during last 3 years
- 7. Management Structure (to be attached alongwith the and Share-holding application)
 pattern
- 8. Amount of loan proposed to be given and for what purpose:
- 9. Rate of interest proposed to be charged.

(to be attached alongwith the application)

4

1 2

- Nature and value of Security offered by the borrower.
- 11. Whether there has been any default in the repayment of any deposit or part thereof or any interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit referred to in Section 58A of the Companies Act, 1956. If yes, the details thereof
- 12. Whether the applicant Company has passed the requisite special resolution; if so, a copy of the resolution is to be attached.
- 13. Availability of funds with the applicant Company:

As on

Details		Amount	Remarks	
		2	3	
(a)	Subscribed capital/paid up capital			
(b)	Free reserves (to be listed)			
(c)	Total:			
(d) Existing Investments				
(e)	Loans/deposits already lent by the Company			
(f)	Amount of Loan involved in this proposal.			
(g)	Total $(e + f + g)$			
(h)	Percentage of Column (g) in relation to Column (c)			

VERIFICATION

It is hereby certified that the information given above and in the attached documents are true to the best of my knowledge and belief.

Station:	Signature
Date:	Designation

FORM NO. 34B

(Please see Section 372)

Instructions

- 1. Application complete in all respects to be sent to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, 5th, Floor "A" Wing, New Delhi 110001.
- 2. The application Form should be accompanied by the requisite amount of fee/evidences of payment of fee paid terms of the Companies (Fees on Applications) Rules, 1968. Fee be preferebly paid by Bank Draft/Banker's Cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi", payable at Delhi.

1.	Authorised Capital of the Company	Rs.————

2.	Amount of Fee paid	Rs.——		
3.	Details of DD/Banker's Cheque/Challan:			
	Bank:			
	Station:			
	No. :			
	Date. :			
-				
	Particulars	Investing Company	Other body Corporate	
		(Applicant Company)	(Investee Company)	
	1	2	3	
4.	Name and address			
5.	Existing and proposed business			
6.	Share holding pattern and Management			
	Structure	(to be attached along-	(to be attached along-	
7.	Whether listed	with the application)	with the application)	
8.	Details of the proposed investment.	,	,,,	
	(Indicate number of shares to be acquired,			
	face value, premium (if any) and total value.)			. ,
9.	Sources from which investment is proposed			
	to be funded.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			Amount Rs./US \$	·
	(a) From Internal Accruals:			
	(b) By expanding capital base:			
	(c) EXIM Bank Loan:		·	. **
	(d) By transfer Assets/Property/Undertaking:			
	(e) Any other method (to be specified):			
	Total:			
10.	Whether the Members and the Board of	,		
	Directors of the Applicant company have		·	
	Passed Resolutions, as required under			
	Section 372(4) and (5) for making the			
	proposed investment.			
11.	In case the investee company is going to take			
	up a new project : indicate broad areas of		•	
	operation.			
12.	Valuation of Shares of the investee company:			
	(To be submitted where shares are being			
	acquired at a premium or when the investee			
	company is a loss making company. A Certi-			
	ficate from a Chartered Acct./Approved Value	er		
	to be attached)			
	(i) Market Value :(ii) Yield Value :			
	(iii) Break-up Value:			
	(iv) Fair Value:			
13.	Justification for purchase of shares at premium			
	higher value than fair value.			

14. Availability of funds with the applicant company:

As on

Details	Amount	Remarks
1	2	3

- (a) Subscribed Capital/Paid up Capital
- (b) Free Reserves (to be listed)
- (c) Total:
- (d) Loan/deposits already lent by the Company
- (e) Existing Investments
- (f) Investment involved in this proposal.
- (g) Total: (d+e+f)
- (h) Percentage of Column (g) in relation to Column (h)
- 15. If the applicant company already holds shares of the investee company, indicate the percentage of this holding with, reference to total paid up share capital of the investee company. Indicate the percentage of shares applicant company will hold in the investee company after the proposed investment takes place.
- 16. Whether there has been any default in the repayment of any deposit or part thereof or any interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit referred to in section 58A of the Companies Act, 1956.

If yes, the details thereof.

List of documents to be attached, (to the extent applicable)

- (1) Latest available Audited Acounts with Auditors Report and Directors' Report of both the applicant company and the investee company.
- (2) Copies of the resolutions passed under section 372(4) and section 372(5) by the applicant company.
- (3) A copy of the resolution under section \$1(1A) passed by the investee company.
- (4) Copies of approval of Foreign Collaboration agreement by Ministry of Industry, and approval of Reserve Bank of India.
- (5) Copy of the resolution(s) under section 293 where transfer of undertakings is involved

VERIFICATION

It is hereby certified that the information given above and in the attached documents are ture to the best of my knowledge and belief.

Place : Date : SEAL : Signature:

Name:

Designation:

[File No. 1/4/97-CL. V] R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide S.R.O. 432 dated 18-2-56 and subsequently amended by:—

- 1. SRO 2535 dated 1-11-1956
- 2. SRO 3135 dated 21-12-1956
- 3. SRO 237 dated 19-1-1957
- 4. SRO 2105 dated 29-1-1957

- 5. SRO 3038 dated 28-09-1957
- 6. SRO 3867 dated 7-12-1957
- 7. GSR 48 dated 22-2-1958
- 8. GSR 723 dated 23-8-1958
- 9. GSR 750 dated 30-8-1958
- 10. GSR 1026 dated 1-11-1958
- 11. GSR 14 dated 3-1-1959
- 12. GSR 548 dated 9-5-1959
- 13. GSR 1140 dated 17-10-1959
- 14. GSR 1224 dated 7-11-1959
- 15. GSR 1364 dated 12-12-1959
- 16. GSR 220 dated 27-2-1960
- 17. GSR 595 dated 28-5-1960
- 18. GSR 195 dated 18-2-1961
- 19. GSR 814 dated 24-6-1961
- 20. GSR 1105 dated 9-9-1961
- 21. GSR 1408 dated 25-11-1961
- 22. GSR 653 dated 12-5-1962
- 23. GSR 344 dated 2-3-1963
- 24. GSR 628 dated 13-4-1963
- 25. GSR 97 dated 16-1-1965
- 26. GSR 822 dated 12-6-1965
- 27. GSR 1570 dated 30-10-1965
- 28. GSR 368 dated 19-3-1966
- 29. GSR 421 dated 18-3-1966
- 30. GSR 499 dated 9-4-1966
- 31. GSR 743 dated 21-5-1966
- 32. GSR 847 dated 4-6-1966
- 33. GSR 1266 dated 13-8-1966
- 34. GSR 130 dated 20-1-1968
- 35. GSR 667 dated 30-6-1973
- 36. GSR 327(E) dated 10-6-1975
- 37. GSR 414(E) dated 16-7-1975
- 38. GSR 2596 dated 1-11-1975
- 39. GSR 2828 dated 13-12-1975
- 40. GSR 154 dated 31-1-1976
- 41. GSR 248(E) dated 24-3-1976
- 42. GSR 627 dated 14-5-1977
- 43. GSR 24(E) dated 9-1-1979
- 44. GSR 1256 dated 6-10-1979
- 45. GSR 555(E) dated 4-9-1982
- 46. GSR 479(E) dated 22-4-1988
- 47. GSR 694(E) dated 10-6-1988
- 48. GSR 782(E) dated 13-7-1988
- 49. GSR 908(E) dated 7-9-1988
- 50. GSR 1032(E) dated 26-10-1988
- 51. GSR 449(E) dated 17-4-1989
- 52. GSR 510(E) dated 24-5-1990
- 53. GSR 795(E) dated 18-9-1990
- 54. GSR 289(E) dated 31-5-1991
- 55. GSR 614(E) dated 3-10-1991
- 56. GSR 754(E) dated 26-12-1991
- 57. GSR 312(E) dated 6-3-1992
- 58. GSR 353(E) dated 26-3-1992 59. GSR 484(E) dated 11-5-1992
- 60. GSR 581(E) dated 27-8-1993

- 61. GSR 621(E) dated 24-9-1993
- 62. GSR 286(E) dated 1-3-1994
- 63. GSR 598(E) dated 28-7-1994
- 64. GSR 697(E) dated 20-9-1994
- 65. GSR 283(E) dated 21-3-1995
- 66. GSR 424(E) dated 26-5-1995
- 67. GSR 251(E) dated 21-6-1996
- 68. GSR 97(E) dated 28-2-1997